न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 18/2021

उनवान

1. अब्बास,
2. असगर खां
3. शरीफ अहमद खां,
4. मुंशी खा पि0 अनवर खां
5. रहमत पत्नी अनवर खां
6. जमीला पत्नी बाबू अजहर खां,
7. परवीन पुत्री बाबू अजहर खां
8. यासमीन पुत्री बाबू अजहर खां,
9. खालिद अशरफ पुत्र बाबू अजहर खां समस्त जाति मुसलमान नि0 रामसर, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
2. मेवा खां पुत्र अनवर खां,
3. अशरफ पुत्र बाबू अजहर खां समस्त जाति मुसलमान नि0 रामसर, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 एवं धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.11.21

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
5814	7–2–0	7963	2.03
5815	5–9–0		
5695	4–19–0	7821	0.80

उक्त आराजी में दतर्ज वंर्किग खसरा नमबर 5814, 5815 व 5695 की आराजी के खातेदार अब्बास (वादी संख्या 1), असगर खां (वादी संख्या 2) शरीफ अहमद खां (वादी संख्या 3) पुत्रगण अनवर खां दर्ज थे। जिस पर वादीगण पुश्तैनी रूप से आराजि काश्त चले आ रहे है। किन्तु दौराने बंदोबस्त हाल जमाबंदी बनाते समय अंकित वादी संख्या 1 से 3 के साथ अनवर खां के वारिस मुंशी पुत्र अनवर खां व बाबू अजहर खां पुत्र अनवर खां के वारिस वादी संख्या 6 से 9 का नाम जोडते समय गलती से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम अंकित कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:41 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

Scanned by CamScanner

जबकि अनवर खां के मेवा खां नाम का कोई पुत्र नही है। साथ ही अनवर खां के बाबू अजहर खां नाम की कोई पुत्री नही है। बाबू अजहर खां की पुत्री परवीन का गलत नाम परवीर अंकित कर दिया अतः प्रकरण में दुरूस्ती कर के प्रतिवादी संख्या 7 का सही नाम परवीर की जगह परवीन अंकित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम हटाया जवे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बारे में तामीली रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसके अनुसार उक्त नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामसर में नही है।

प्रकरण मे निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा में वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ?
—— वादीगण

2. अनुतोष ?

वाद विचारण के दौरान वादीगण ने आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 7821 रकबा 0.80 को भी अंकित किया। जिसे स्वीकार कर संशोधित वाद रेकार्ड पर लिया गया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व दस्तावेज पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7821 रकबा 0.80 व 7963 रकबा 2.03 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में अब्बास पुत्र अनवर खां, अशरफ पुत्री बाबू अजहर खां, असगर खां पुत्र अनवर खां, खालिद अशरफ पुत्र बाबू अजहर खां, जमीला पत्नी बाबू अजहर खां, परवीर पुत्री बाबू अजहर खां, मेवा खां पुत्र अनवर खां, मुंशी पुत्र अनवर खां, यासमीन पुत्री बाबू अजहर खां, रहमत पत्नी अनवर खां व शरीफ अहमद खां पुत्र अनवर खां के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 5814, 5815 व 5695 रहमत पत्नी अनवर खां, बाबू खां, मिया खां, मुंशी अब्बास, असगर खां, शरीफ अहमद खां पि0 अनवर खां के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त आराजी में बाबू अजहर खां की विरासत दर्ज करते समय प्रतिवादी संख्या 3 अशरफ पुत्र बाबू अजहर खां का नाम गलती से जोड दिया तथा वादी संख्या 7 का नाम परवीन के स्थान पर त्रुटिपूर्ण तरीके से परवीर अंकित कर दिया साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भी जोड दिया गया जबकि वादीगण के परिवार में उक्त नाम का काई व्यक्ति नही है। वादी संख्या 9 का नाम खालिद अशरफ पुत्र बाबू अजहर खां दर्ज है किन्तु हाल जमाबंदी में अशरफ पुत्री बाबू अजहर खां भी गलती से जोड दिया। वादीगण द्वारा उक्त आराजी की आधार जमाबंदी सम्वत् 2059–78 पेश की है जिसमें आराजी मुतनाजा रहमत पत्नी अनवर खां, बाबू खां, मिवा खां, मुंशी अब्बास, असगर खां, शरीफ अहमद खां पि0 अनवर खां के नाम दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वंर्किग जमाबंदी में मिया खां पुत्र अनवर खां, हाल जमाबंदी में मेवा खां पुत्र अनवर खां तथा आधार जमाबंदी में मिवा खां पुत्र अनवर खां तीन अलग– अलग नाम दर्ज है। इसी प्रकार बाबू अजहर खां के वारिसों [illegible] द्वारा बताया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत शजरा प्रमा[illegible] च पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदारों के नाम मे त्रुटि अंकित है [illegible] जाती है।

अतः ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7821 रकबा 0.80 व 7963 रकबा 2.03 की आराजी पर वादीगण का वाद इस प्रकार से स्वीकार किया जाता है कि तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:41 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

नसीराबाद उक्त आराजी के वंर्किग जमाबंदी में अंकित अनवर खां के समस्त विधिक वारिसान के नाम अंकन कर मृत खातेदारों की विरासत की कार्यवाही नियमानुसार दर्ज कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner